प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 28 फरवरी, 2019

विषय- जिला कारागार सोनभद्र/बागपत में सीसीटीवी की स्थापना एवं प्रदेश की 43 कारागारों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे, सहवर्ती उपकरण तथा उपयुक्त केबलिंग हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-41570/आधु0-1/सीसीटीवी-वैल्यूम-2/2015, दिनांक-18 दिसम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत निर्माण कार्य की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-25/2018/250/22-4-18-107(ब)/12टीसी, दिनांक 20.03.2018 तथा अग्रिम स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-52/2018/405/22-4-18-107(ब)/12टीसी, दिनांक 31.03.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार सोनभद्र/बागपत में सीसीटीवी की स्थापना एवं प्रदेश की 43 कारागारों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे, सहवर्ती उपकरण तथा उपयुक्त केबलिंग हेतु अवशेष 60 प्रतिशत धनराशि रू0 3,60,66,575/- (रूपया तीन करोड़ साठ लाख छियासठ हजार पॉच सौ पचहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(क) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्त-पुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचरिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(ख) प्रश्नगत उपकरण का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचरिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(ग) अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(घ) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ड़) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(च) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2019 तक कर लिया जायेगा।

(छ) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(ज) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद" में उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-11/2019/248(1)/22-4-2019-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को लि0, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in